

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 03/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक- 14.06.2021

1. श्री चरतभुज पिता नानालाल जी जाति जाट आयु 70 साल निवासी रामपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी रामपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. श्री कन्हैयालाल पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी रामपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
3. श्री सुरेशचन्द्र पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी रामपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
4. श्रीमती कलाबाई पत्नी रामचन्द्र जी जाति जाट आयु 60 साल निवासी आजमपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा आजमपुरा प0ह0 ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 36 की आराजी नं0 30 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, आराजी नं0 48 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नं0 91 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा आजमपुरा प0ह0 ऊंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 36 की आराजी नं0 30 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, आराजी नं0 48 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नं0 91 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

